

28-5-19

परापली पेश हुये। वकील अपीलान्त अनुपस्थित।
रिफाई अपील, लम्बी से जाकर परापली दिनांक
11-6-19 को पेश हो।

11-6-19

परापली पेश हुये। वकील अपीलान्त अनुपस्थित।
इन्हे एक आन्तिम अवसर फोर दिया जाला है। रिफाई
अपील, लम्बी से जाकर परापली दिनांक 18-6-2019
को पेश हो।

18-6-19

परापली पेश हुये। प्रार्थी व उसके अधिभावक
वारन्तुद सूचना अनुपस्थित रहे। न्यायालय समाप्त
समय पुनः 3 बार रुक-रुक कर आवाज लगावाई गई
जोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी व उसके
अधिभावक उपस्थित नहीं होने कारण परापली
कानूनानुसार सू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा
63(V) के तहत अदम दायरी अदम पैरवी में रखा
की जाली है। परापली निर्णय में फैसल शुमार की
जाकर नम्बर से काम की जाए। तब बाद लकड़ी
दाखिल दफ्तर हो।

